

युवक का अपहरण और मारपीट कर फिरौती मांगने के आरोप में चार गिरफ्तार

दिल्ली से भीलवाड़ा लौट रहे युवक का अपहरण कर जंगल में मारपीट कर फिरौती मांगी थी

भीलवाड़ा, (नि.सं.)। जिले को करेड़ा थाना पुलिस ने दिल्ली से भीलवाड़ा लौट रहे एक युवक का अपहरण कर लेने और जंगल में ले जाकर उसके साथ मारपीट कर फिरौती की मांग करने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

करेड़ा पुलिस के अनुसार, बड़लियास थाने के रेण गांव निवासी सुनीलनाथ (21) पुत्र सोनाथ योगी ने 13 मार्च को करेड़ा थाने पर रिपोर्ट दी कि गत 22 फरवरी को वह दिल्ली से भीलवाड़ा आ रहा था। इस दौरान उसका अपहरण कर लिया गया। अपहरण, उसी के दोस्त खाखरिया खेड़ा, करेड़ा निवासी ईश्वरनाथ पुत्र लादुनाथ योगी व उसके साथियों ने मिलकर किया। ये लोग फिरौती की मांग करते हुये उसे जंगल में ले गये और मारपीट कर रंगदारी बसूल की। इस रिपोर्ट पर करेड़ा पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की।

जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने इस मामले में कार्रवाई के लिए एएसपी सहाड़ा रोशन पटेल के निर्देशन, डीएसपी आसीद ओमप्रकाश



करेड़ा थाना पुलिस ने अपहरण और फिरौती मांगने के आरोप में चार जनों को गिरफ्तार किया।

के सुपरविजन और करेड़ा थाना प्रभारी पूरणमल मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन किया।

टीम ने अथक प्रयास करते हुये सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते

हुये तफ़ीश कर चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपितों में संतोषी माता मंदिर के पास पुर निवासी चेतन शर्मा (21) पुत्र लक्ष्मण शर्मा, खाखरिया खेड़ा निवासी ईश्वरनाथ

(32) पुत्र लादुनाथ योगी, करेड़ा निवासी विजय प्रकाश पुत्र जगदीश चन्द्र औझा व रलायता, गोरधपुरा, करेड़ा निवासी सुरेशनाथ (21) पुत्र लच्छू उर्फ लक्ष्मणनाथ योगी शामिल

■ पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुये जांच कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया

है। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल विजय प्रकाश औझा के खिलाफ पूर्व में नौ मामले मांडल, भीमगंज, प्रताप नगर, करेड़ा में दो, प्रताप नगर, उदयपुर, गंगार, मारुट आबू व देवास, मध्यप्रदेश में लूट, अपहरण, अवैध हथियार रखने आदि मामले दर्ज हैं। इसी तरह चेतनप्रकाश के खिलाफ हत्या के प्रयास का पुर थाने में लूट व जानलेवा हमले का करेड़ा में, ईश्वरनाथ के खिलाफ देवास में जबकि सुरेशनाथ के खिलाफ भी देवास में एक मामला दर्ज है। कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में थाना प्रभारी पूरणमल मीणा के साथ एएसआई रेवत सिंह, कांस्टेबल कमलेश, मुकेश, महेश दान व युवराज सिंह शामिल थे।

डंपर के टायर व अन्य सामान चोरी का खुलासा, तीन गिरफ्तार



मेहाड़ा पुलिस ने चोरी के मामले में तीन जनों को पकड़ा।

खेतड़ी, (नि.सं.)। मेहाड़ा पुलिस ने डंपर के टायर सहित अन्य सामान चोरी का शुकुवार को खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुराया गया सामान बरामद किया है।

थानाधिकारी भजनाराम ने बताया कि 11 मार्च मुकेश कुमार जाट गांव माईवाला जिला चरखी दादरी हरियाणा ने मामला दर्ज करवाया था कि उसकी गाड़ी जो कि ड्राइवर को चलाने के लिए दे रखी थी। डस्ट सप्लाई के लिए जो कि ड्राइवर उसकी गाड़ी में से 8 टायर और जैक, 20 हजार रूप का डीलज बेच कर फरार हो गया और गाड़ी में

■ पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराया गया सामान बरामद किया

कागज भी नहीं मिले। इस दौरान गाड़ी का पता किया तो गाड़ी नीमकाथाना रोड़ देवनारायण सावडी होटल के नजदीक मिली। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। थानाधिकारी भजनाराम के नेतृत्व में चोरी की घटना की गंभीरता लेते हुए आरोपियों की तलाश में टीम गठित की गई। टीम द्वारा आरोपियों की तलाश में संभावित स्थानों पर की गई

एवं टीम द्वारा आरोपी का लगातार पिछाकर घटना में शामिल मुख्य आरोपी गुरुसाबसिंह को अमृतसर (पंजाब) से दस्तयाब कर बाद पुछताछ के बाद गिरफ्तार कर डॅफर के चोरी किए गए सात टायर, जैक व जैक राड बरामद कर लिए। थानाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पुछताछ की जा रही है। इस दौरान टीम में थानाधिकारी भजनाराम, एएसआई पराम, कांस्टेबल रोहिताश आदि शामिल थे।

2.4 लाख रुपये की रिश्वत के लेन-देन में दो अधिकारी गिरफ्तार

जयपुर। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2.4 लाख रुपये की रिश्वत का लेन-देन होते ही पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ महाप्रबंधक और एक निजी कंपनी के उप महाप्रबंधक सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

सीबीआई ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के वरिष्ठ महाप्रबंधक और मुंबई स्थित एक निजी कंपनी के उप महाप्रबंधक सहित दो आरोपियों को 2.4 लाख रुपये की रिश्वत का लेन-देन होते ही गिरफ्तार किया है। जो निजी कंपनी के आरोपी उप महाप्रबंधक की ओर से वरिष्ठ महाप्रबंधक को दी गई थी। यह रिश्वत कथित तौर पर निजी कंपनी को दी गई

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की संविदा से संबंधित बिलों के प्रसंस्करण और पास करने में अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए दी गई थी। सीबीआई ने अजमेर में पदस्थ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ महाप्रबंधक मुम्बई स्थित एक निजी कम्पनी, उक्त निजी कम्पनी के चार प्रतिनिधियों तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों सहित छह आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। आरोप था कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का आरोपी लोक सेवक, अवैध परिचय के बदले में निजी कम्पनी के आरोपी प्रतिनिधियों के साथ मिलीभगत कर आरोपी निजी कम्पनी को दी गई पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की संविदा से संबंधित बिलों के प्रसंस्करण तथा उन्हें

पास करने में अनुचित लाभ पहुंचा रहा था। यह भी आरोप था कि परस्पर बातचीत होने के बाद, निजी कम्पनी के आरोपी प्रतिनिधि ने रिश्वत की राशि देने के लिए सीकर में एक निश्चित स्थान पर आरोपी लोक सेवक से मिलने का निर्णय लिया। सीबीआई ने जाल बिछाया तथा निजी कम्पनी के आरोपी प्रतिनिधि (डीजीएम) से 2.4 लाख रुपये की रिश्वत राशि स्वीकार करते ही पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के आरोपी वरिष्ठ महाप्रबंधक को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा सीकर, जयपुर और मोहाली में आरोपियों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों में सीबीआई द्वारा तलाशी ली जा रही है।

शराब के साथ दो गिरफ्तार

बाँली-बामनवास, (नि.सं.)। सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत बहरावडा कला पुलिस थाने की टीम द्वारा अवैध शराब के 576 पत्रों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुमेर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम में शामिल हेड कांस्टेबल मदनलाल, कांस्टेबल मुकेश कुमार, महावीर व चंद्रमोहन की टीम ने मुखबिर की सूचना पर करीला मोड़ के सामने कच्चे रास्ते पर तीन लोग प्लास्टिक के पांच कट्टे लेकर खड़े नजर आए, पुलिस वाहन टीम को देखकर एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम ने दो लोगों को घेरा देकर पकड़ा, जिसमें रामलखन बैरवा व सूरज बैरवा निवासी बाजोली थाना बहरावडा कला को पकड़कर तलाशी ली गई तो कट्टों में 12 कार्टून अवैध देशी शराब के मिले।

नाबालिग छोटी बहन से दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी दी

मकराना, (नि.सं.)। नशेड़ी भाई द्वारा 15 वर्षीय बहन के साथ एमडी के नशे में दुष्कर्म करने व घर वालों को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। अब पीड़िता के जीजा ने मकराना थाना में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

परिवादी ने बताया कि वर्ष 2020 में उसका विवाह हुआ था। उसकी सबसे छोटी साली 15 वर्ष की है। कुछ दिनों पूर्व उसके पास साली का फोन आया। उसने रोते-रोते हुए बताया कि उसका बड़ा भाई नशा करता है और उसके साथ दुष्कर्म किया है। जिस पर परिवादी ने साली से कहा कि अपने माता-पिता को बताए तो उसने बताया कि पिता खुद शराब के नशे में रहते हैं तथा माता, बड़ी

■ एमडी के नशे में दुष्कर्म करने व घर वालों को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप

■ पीड़िता ने जीजा को आपबीती बताई, मकराना थाना में मामला दर्ज करवाया

बहन व बड़े जीजा उसके भाई का ही साथ दे रहे हैं। उन्होंने उसे घर में बंधक बना रखा है और मारपीट कर रहे हैं। उसकी पढ़ाई भी छूड़वा दी है और उससे कहा कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। पीड़िता ने बताया कि परिजन उसने दूसरे राज्य में किसी रिश्तेदार के ले जाकर जान से मारने का प्लान बना रहे हैं। उसने बताया कि उसका भाई एमडी का नशा करता है और रोज उससे शारीरिक संबंध बनाता है। परिवादी ने

बताया कि सच्चाई जानने के लिए उसने अपने साले और ससुराल वालों को बुलाया तो उन्होंने माफ़ी मांगी और आईदा ऐसा नहीं करने की बात कही थी, जिस पर उसने कुचामन पुलिस को बुलाया। पुलिस दोनों को पकड़कर ले गई और छोड़ दिया। अब उसकी साली का पुनः फोन आया और उसने कहा कि उसकी हत्या कभी भी हो सकती है। पुलिस ने पॉन्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नर्सिंग छात्र ने आत्महत्या की

उदयपुर, (नि.सं.)। शहर के हिरणममारी थाना क्षेत्र में स्थित नर्सिंग छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगा आत्महत्या कर ली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटाडा हॉल उमराड़ा स्थित अरावली नर्सिंग कॉलेज में जीएनएम तृतीय वर्ष के छात्र उत्तम प्रजापत (21) ने अपने हॉस्टल के कमरे में शुकुवार को फांसी लगा आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना मिलने पर एएसआई अरविन्दसिंह के नेतृत्व में हेडकांस्टेबल महावीरसिंह ने मौके पर पहुंच कर उसे निचे उतार कर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस पर एएसआई ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया।

चार किलो अवैध अफीम के साथ एक गिरफ्तार

उदयपुर, (का.सं.)। अधीक्षक (निवारक) उप नारकोटिक्स आयुक्त कार्यालय, कोटा की ओर से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन.) राजस्थान के उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा नरेश बुन्देल के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत 20 मार्च को सीबीएन को एक ओर सफलता प्राप्त हुई है।

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन.) राजस्थान के उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा नरेश

बुन्देल ने बताया कि मादक पदार्थ विरोधी अभियान जारी रखते हुए केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन.) चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों ने 4.260 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की एवं एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ सेल के अधिकारियों ने चित्तौड़गढ़-उदयपुर राजमार्ग तहसील डूंगला और जिला चित्तौड़गढ़ पर एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और उसके सवार को रोका और 4.260 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की। सीबीएन को एक

गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति राजस्थान के पंजीकरण वाली स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का उपयोग करके चित्तौड़गढ़-उदयपुर पर मार्ग पर अवैध अफीम की तस्करी करेगा, सीबीएन चित्तौड़गढ़ सेल के अधिकारियों की एक टीम ने संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी और उक्त वाहन की पहचान की। सीबीएन के अधिकारियों ने उक्त वाहन और उसके सवार को रोका और 4.260 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की और वाहन को जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

चार ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त, तीन गिरफ्तार

टोंक, (नि.सं.)। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के द्वारा चलाये जा रहे जिले में अवैध बजरी खनन व परिवहन को रोकथाम के तहत अरविन्द कुमार वृताधिकारी पीपलू एवं थानाधिकारी पीपलू उदयवीर सिंह के नेतृत्व में गठित थाना टीम व डीएसटी टीम की संयुक्त कार्यवाही में अवैध बजरी खनन व परिवहन के तहत कार्यवाही करते अवैध बजरी परिवहन करते हुये चार ट्रैक्टर मय ट्रॉली अवैध बजरी से भरी हुई को जब्त किया गया। कार्यवाही के दौरान तीन वाहन चालकों को गिरफ्तार किया गया तथा एक आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

यूडीए ने तीन दुकान और एक बिल्डिंग को ध्वस्त किया

उदयपुर, (का.सं.)। उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने शुकुवार को बडगांव में 60 फीट रोड की सीमा में आ रहे निर्माणों को तोड़ा है, जिसके तहत तीन दुकानों और एक बड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया।

यूडीए कमिश्नर राहुल जैन के अनुसार यूडीए की टीम ने बडगांव सड़क सीमा में आ रही दो दुकानों को तोड़ने के बाद एक कई मंजिला भवन को तोड़ा गया। टीम ने इसके साथ ही उसके वहां से भराव हटाने काम का शुरू किया। बडगांव में अब इस रोड पर दो मकान और छोटे-बड़े तीन शेंड बचे हैं, जिनको ध्वस्त किया जाएगा।

इसके बाद इस 60 फीट सड़क के अवरोधक हटाए जाएंगे। जैन ने बताया कि बडगांव मुख्य मार्ग को साल 2022 में 60 फीट चौड़ा करने का प्रस्ताव पास हुआ था और उसके बाद वहां काम शुरू कर दिया गया था और कुछ मकान मालिकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था और कोर्ट में मामला चला गया और तब से मामला अटक गया था। यूडीए को इन मकान मालिकों की सहमति मिलने के बाद अब यहां ये निर्माण तोड़ने हुए कार्यवाही शुरू की। इस दौरान पटवारी सुरपाल सिंह सोलंकी के साथ होमगार्ड आदि मौजूद थे।

पाम ऑयल और नारियल तेल नष्ट कराया

भीलवाड़ा, (नि.सं.)। "शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान" के तहत चिकित्सा विभाग की टीम ने 100 लीटर पाम ऑयल और 45 किलो नारियल तेल को नष्ट करवा दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शाहदा चौराहा स्थित मैसर्स बालाजी डेयरी से पनीर का नमूना लिया। साथ ही अर्वाधिपार पाई गई पांच किलो सोन पापडी को जनहित में नष्ट कराया गया। बड़ी पुलिस स्थित मैसर्स सोनानी ब्रदर्स से भी (ब्राण्ड प्रभात डेयरी) का नमूना लिया गया। इसके साथ ही अर्वाधिपार 100 लीटर पाम ऑयल व 45 किग्रा नारियल तेल नष्ट कराया।

काछोला पंचायत में बेशकीमती आबादी भूमि में नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने का आरोप

हत्या का प्रयास करने के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

ग्रामीणों ने सरपंच व विडिओ पर चारागाह और सड़क किनारे आबादी भूमि पर लाखों की राशि लेकर पुश्तैनी पट्टा बनाने का आरोप लगाया

मांडलगढ़, (नि.सं.)। मांडलगढ़ उपखण्ड के काछोला ग्राम पंचायत में बेशकीमती आबादी के नियम विरुद्ध बनाए जा रहे भूखण्ड पट्टों की जांच को लेकर ग्रामीणों ने काछोला उपतहसील कार्यालय पर प्रदर्शन कर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रामीणों ने विकास अधिकारी मांडलगढ़ को भी शिकायत कर उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणों द्वारा नायब तहसीलदार और विकास अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया कि काछोला पंचायत के सरपंच रामपाल बलाई व ग्राम विकास अधिकारी ने अपने कार्यकाल के दौरान काछोला गांव की बेशकीमती रिक्त पट्टी आबादी भूमि में नियम विरुद्ध अपात्र सैकड़ों लोगों को पुश्तैनी पट्टे जारी कर दिए। पट्टे जारी करने के दौरान सरपंच और विडिओ दलालों के मार्फत निजी तौर पर मोटी राशि लेकर पट्टे दे रहे हैं, पट्टाधारियों द्वारा उन्ही पट्टों को 10 से 15 लाख की राशि लेकर बेचा जा रहा है। ज्ञापन में बताया कि चारागाह भूमि को भी आबादी की बलाकर नियम विरुद्ध पट्टे बनाए जा रहे हैं। वहीं काछोला के मानपुरा रोड़ पर एक निजी कॉलोनी से सटी ग्राम पंचायत की



काछोला ग्राम पंचायत में नियम विरुद्ध बनाए गए पट्टों की जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मांडलगढ़ बीडीओ को ज्ञापन दिया।

करेड़ों की आबादी भूमि को भूमाफिया गिरोह के हाथों में सौंपने की जानकारी निकल कर आ रही है। ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत में दलालों के मार्फत पट्टा बनाने और अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग ग्रामीणों ने की है। गौरतलब है कि विधायक गोपाल खण्डेलवाल की शिकायत पर काछोला

पंचायत में पूर्व सरपंच प्रहलाद नट द्वारा करीब 50-60 नियम विरुद्ध पट्टे जारी किए थे, जिनकी निगरानी कार्रवाई न्यायालय में आज भी विचाराधीन है। इस मामले में सम्भामोषी आयुक्त द्वारा पूर्व सरपंच नट को अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई चल रही है। ज्ञापन देने में काछोला उप सरपंच

देवीलाल माली, नंदलाल शर्मा, पंचायत समिति प्रतिनिधि श्याम लाल आचार्य, दुर्गाशंकर आचार्य, ओमप्रकाश योगी, बुजेंद्रसिंह सोलंकी, कैलाश गगरानी, राजेश लड़ा, सहित आदि ग्रामीण उपस्थित थे। काछोला नायब तहसीलदार कैलाश चन्द्र मीणा का कहना है कि

■ ग्रामीणों ने काछोला उपतहसील कार्यालय पर प्रदर्शन कर उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

काछोला के ग्रामीणों द्वारा नियम विरुद्ध बनाए जा रहे पट्टे के मामले की जांच का ज्ञापन दिया है, ज्ञापन की जांच कार्रवाई के लिए मांडलगढ़ विकास अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। संगीता व्यास विकास अधिकारी मांडलगढ़ पंचायत समिति का कहना है कि काछोला के ग्रामीणों ने सरपंच और विडिओ के खिलाफ नियम विरुद्ध भूखण्डों के पट्टे जारी करने का ज्ञापन दिया है, इस मामले में एक कमेटी का गठन कर जांच कराई जा रही है, जांच में शिकायत सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। काछोला ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन में लगाए गए आरोप निराधार हैं और पात्र लोगों को नियमानुसार भूखण्डों के पट्टे जारी किए जा रहे हैं।

सांभरझील, (नि.सं.)। ग्राम कोरसीना में वन विभाग की पहाड़ी पर पेड़ों की अवैध कटाई व खनन कार्य को रोकने से मना करने पर प्राणघातक हमला कर फरार हुए आरोपी को सांभर पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी राजेंद्र यादव ने बताया है कि इस मामले में श्रवण लाल पुत्र रतनाराम गुर्जर निवासी नाका की ढाणी कोरसीना थाना सांभरलेक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह ग्राम कोरसीना में वन विभाग की पहाड़ी की देखरेख करता था। आरोपी मेहराज



पुलिस ने प्राणघातक हमले के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया।

■ आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार लोहे की रॉड जब्त की

पहाड़ी से अवैध रूप से पेड़ों की कटाई व पत्थरों का खनन करता था। जब परिवादी ने आरोपी को इस संबंध में मना किया तो अभियुक्त मेहराज गुर्जर व इसके अन्य साथियों ने परिवादी को लोहे की सबल (रॉड) से सिर पर वार कर घायल कर दिया, जिससे परिवादी गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रकरण में आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था। जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दू. शिवलाल बैरवा के

निर्देशन में वृताधिकारी सांभरलेक अनुपम मिश्रा के सुपरविजन में तथा थानाधिकारी सांभरलेक राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा आसूचना संकलन व तकनीकी सहायता द्वारा गंभीर मारपीट कर हत्या करने का प्रयास करने वाले फरार आरोपी मेहराम गुर्जर निवासी नाका की ढाणी कोरसीना पुलिस थाना सांभरलेक को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथियार लोहे का सबल (रोड़) जप्त किया गया है। युवक ने की आत्महत्या : उदयपुर शहर के अन्वामाता थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगा आत्महत्या कर

ली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अन्वामाता थाना क्षेत्र नीमच माता स्क्रीम देवाली निवासी नरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज मेघवाल ने शुकुवार दोपहर में अपने मकान में फांसी लगा आत्महत्या कर ली। नरेन्द्र सबेरे कमर में गया था दोपहर में घर आई पत्नी ने आवाज लगाई लेकिन जवाब नहीं मिलने पर किवाड़ तोड़कर देखा तो वह फंसे पर लटका हुआ था। इस पर उसे निचे उतार चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर एएसआई शिवदत्तसिंह ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।